

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डला (नियम 26)
 उनवान नमियन् बनाम मुन्शिपारी वहीमदार
 किरम मुकदमा नं. 136 LPA/20 मुकदमा नं. 01/2020 सन 2020

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/1/20	पार्सी की ओर से वकील श्री रामसिंह शेखावत ने प्रा. 0 पत्र पेश किया। प्रा. 0 पत्र दर्ज राप्ते 0 किया जावे अपापीगण को जरिफे नोफि तमस किया जावे। अपापीगण को अबक हेतु तद्वीर जारी हो। मिसम आरिडा डिमांड 31/01/20 को पेश हो।	
31/01/20	पत्रावली पेश हुई। वकील अपापी होफिरे। मुन्शिपारी अपापीगण को लार्कि लोपल पेश हो। वास्तु तमसी अपापीगण 02 नोफि जारी हो। तथा अबक अपापीगण हेतु तद्वीर जारी हो। मिसम वास्तु जोर लार्कि अपापीगण को तमसी अपापीगण 02 तथा पेश हो। अपापीगण को हेतु डिमांड 2/2/20 को पेश हो।	
2/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप/ अनुपस्थित/ पत्रावली अधिकारी दोरे पर/ मय कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आदेशदा दिनांक 14/2/20 को पेश हो।	
14/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप/ अनुपस्थित/ पत्रावली अधिकारी दोरे पर/ मय कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आदेशदा दिनांक 19/2/20 को पेश हो।	तद्वीर 345 2/2/20

19/2/20

पत्नी के पुत्र कुलम प्रसन्न
क/कुलिका केतन लक्ष्मी बरे
0.50 / 1/200 नर ने मय फायदी कतिम
कार्यवाही दिनांक 24/2/20
लेख को 1

24/2/20

पत्नी के पुत्र कुलम प्रसन्न
होमि। कुलिका केतन लक्ष्मी बरे
रूप से होम प्रेस की शर्तों के तहत
दिनांक 19/2/20 को कानून के अंतर्गत
वैध कर: कुलिका केतन लक्ष्मी बरे
कार्यवाही के तहत में लक्ष्मी बरे की
पत्नी ने कथन हेतु निवेदन किया। कथन
कुलम प्रसन्न को शर्त कथन कथन प्रसन्न
ने कथन किया कि तब शर्त में शर्त
लुहालात पत्नी केतन लक्ष्मी बरे की लुहालात
के स्थित कुलिका केतन लक्ष्मी बरे नं 222 त 225
227, 228 विगा-1 कुलम प्रसन्न 1.23 ई
एवं नं 226, 229 त 242, 244,
245 की खातेदारी में प्रसन्न नाम
नेमियड पुत्र धामी पांडे कुलम प्रसन्न के
हैं कथन लक्ष्मी बरे नाम नेमियड पुत्र धामी
पांडे कुलम प्रसन्न हैं जो लक्ष्मी बरे के तहत में
दिए हैं। कथन: शर्तों के तहत में लक्ष्मी बरे
नेमियड पुत्र धामी पांडे कुलम प्रसन्न एवं

तारीख हुकम

दर्ज किया जाये

हमने खटब कहीम प्रार्थी छुनी लका

उस पर लगी गतन किया / प्रमावली क प्रमावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अन्वेषण किया गया। प्रार्थी के राशन कार्ड, मतदाता पंथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इतिहास

लाइसेंस, बिजली के बिल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की लैंग्वेजरी परिक्षा 1987, हायर लेनेंजी परिक्षा 1988 इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थी का

नाम नैमीचन्द पुत्र घामीराम ही दर्ज है। प्रार्थी राधान निवासी में भी यही नाम उल्लेख किया गया है। उक्त दस्तावेजों से

प्रार्थीना पत्र में उल्लेख लब्ध साबित होते हैं। अतः प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 131 (1) (b) के अन्तर्गत

स्वीकार योग्य पाये जाते हैं। स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आदेश।

तन शाम भौरा मय लुहारवास पंचवार टका कोटड़ी लुहारवास के कृषि भूमि ख० न० 222 से 225, 227, 228 किला-6 कुल रकबा 1.23 है। एवं ख० न० 226, 229 ता 242, 244, 245 कुल किला-17 कुल रकबा 3.52 है। ये राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नैमीचन्द पुत्र घामीराम पौत्र शूजा के स्थान

(Signature)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुकम में
------------	--------------------------------------	-------------------------------

पत्र नैमीचन्द पुत्र घासीबाम पाँच बूजा हुकम
 किया जावे। हुकमती हेतु तहसीलदार खण्डेला
 को तहरीर जारी है। मिलाज फ़ैशन मुकाम
 होकर नम्बर से कम है बाद तहसील दाखिल
 फ़ैर है।

(Signature)
 (रणजीत सिंह)
 AHS
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)